न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

दावा सं0–88 / 2017

प्रविष्टि दिनांक– 07.06.2017

उनवान

जंसी पुत्र कालू जाति मीणा उम्र 65 साल निवासी ग्राम अरनियामाल तह0 व जिला टोंक

वादी

बनाम

सुवालाल पुत्र गोरपाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम अरनियामाल तह.व जिला टोंक

प्रतिवादी

उपस्थित– श्री सेतराम चौधरी – वकील वादी
श्रीमती रमा चौधरी – वकील प्रतिवादी

निर्णय

वाद बाबत–स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा–92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

दिनांक : 4/12/2021

वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि भूमि आराजी खसरा नं0 32 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का अरनियामाल तह0 व जिला टोंक राज में स्थित है। जो वादी की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा उक्त आराजी का वादी कानूनी मालिक व स्वामी है। प्रतिवादी का उक्त आराजी से किसी तरह कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु प्रतिवादी बदमाश व अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तथा उक्त खेत के पूर्व व दक्षिणी भाग की तरफ को प्रतिवादी की जमीन है तथा प्रतिवादी ने उक्त जमीन की आड में वादी की खातेदारी के खेत खसरा नं0 32 वाके ग्राम राजपुरा में अपने लठ के वल पर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर मकान बनाना शुय कर दिया है, जिसका उसको कोई अधिकारी नहीं है। वादी की खातेदारी के उक्त खेत में प्रतिवादी द्वारा जबरदस्ती अपने लठ के वल पर नींव खोदकर वाउण्ड्री करने व मकान बनाने पर वादी द्वारा थानाधिकारी को रिपोर्ट दी गई परन्तु पुलिस थाना मेहन्दवास द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा कहां कि यह विवाद कृषि भूमि से सम्बन्धित है, इसलिये आप न्यायालय में ही जाये। वादी उक्त आराजी का एकमात्र मालिक स्वामी एवं काविज खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी का उक्त आराजी से किसी तरह का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है लेकिन फिर भी प्रतिवादी उक्त जमीन के पूर्वी दक्षिणी की तरफ वाले भाग पर लठ के वल जवरदस्ती अतिक्रमण कर मकान व बाउण्ड्री का निर्माण कार्य चला रखा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है, इसलिए प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है कि वह खसरा नं0 32 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम राजपुरा तह0 व जिला टोंक में कोई निर्माण कार्य नहीं करे तथा ना ही किसी अन्य एजेंट, नोकर, मजदूर कारीगर से करावे। प्रतिवादी को पावन्द नहीं किया गया तो वह अपने नाजायज मनसूबो में कामयाब हो जायेगा तथा वादी अपने अधिकारो से वंचित हो जायेगा तथा पक्षकारो के मध्य मौके पर लडाई झगडे हो सकते है, मुक्दमेबाजी बढेगी इसलिये प्रतिवादी को पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमाई जाकर प्रतिवादी को सदा सर्वदा के लिये जमीन खसरा नं0 32

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में हस्तक्षेप व मजाहमत नहीं करें तथा कोई निर्माण कार्य नहीं करे तथा ना ही किसी अन्य से करावे।

वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए दस्तावेजात यथा–जमवान्दी संवत– 2072–75 खाता सं. 10, खाता सं0 नया 13 पेश किये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित हुए, किन्तु कई अवसरों के बाद भी जवाब दावा पेश नहीं किये के कारण प्रतिवादी का जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी को दौराने बहस अपना पक्ष रखने का पुनः अवसर प्रदान किया गया। दोनों ही पक्षों ने दस्तावेजाती साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई दस्वेजात पेश नहीं किये।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एंव साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं0 32 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का अरनियामाल तह0 व जिला टोंक को वादी एक मात्र स्वामी एंव खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी को उसकी उक्त खातेदारी भूमि में मजाहमत मदाखलत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादी अपने इस अधिकार को सिद्ध करने में विफल रहा है। उक्त आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी के हितों की रक्षार्थ डिक्री विरूद्ध प्रतिवादी किया जाकर वादी की खातेदारी एंव कब्जेकाश्त वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं0 32 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का अरनियामाल तह0 व जिला टोंक (राज0) में वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करने के लिए प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को सदा सर्वदा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वंय, जरियेऐजेन्ट नोकर रिश्तेदार या अन्य किसी के माध्यम से वादी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त भूमि आराजी खसरा नं0 32 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का अरनियामाल तह0 व जिला टोंक में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप या बाधा नहीं डाले ओर न करावें, ना ही कोई निर्माण करें, ओर हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द रहें।

निर्णय आज दिनांक 04/12/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)
उपखण्ड अधिकारी,टोंक

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री नित्या के0, आई.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

जंसी पुत्र कालू जाति मीणा उम्र 65 साल निवासी ग्राम अरनियामाल तह0 व जिला टोंक

वादी

बनाम

सुवालाल पुत्र मोरपाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम अरनियामाल तह.व जिला टोंक

प्रतिवादी

उपस्थित– श्री सेतराम चौधरी – वकील वादी
श्रीमती रमा चौधरी – वकील प्रतिवादी

वाद पत्र बावत– स्थायी निषेधाज्ञा

दावा नं0 88/2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी एंव प्रतिवादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को सदा सर्वदा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वंय, जरियेऐजेन्ट नोकर रिश्तेदार या अन्य किसी के माध्यम से वादी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त भूमि आराजी खसरा नं0 32 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का अरनियामाल तह0 व जिला टोंक में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप या बाधा नहीं डाले ओर न करावें, ना ही कोई निर्माण करें, ओर हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द रहें।

वसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04/12/2020 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)
उपखण्ड अधिकारी,टोंक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीशान			मिजान		

नोट:–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।